भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3283

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईएसआईसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ

3283. श्री आलोक शर्माः

श्री मनोज तिवारीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कामगारों को कोई राहत/लाभ प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ईएसआईसी लाभार्थियों को स्थायी निःशक्तता और आश्रित लाभ प्राप्त करने के लिए मुजावजा देने के संबंध में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) मध्य प्रदेश में ईएसआईसी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(च) मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) मध्य प्रदेश में ईएसआईसी अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है/इनकी संरचना और भविष्य की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ)**:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसे मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। कारखानों/प्रतिष्ठानों के वे कर्मचारी जो ₹ 21000/- प्रति माह **(**₹ 25,000/- निःशक्त व्यक्तियों के लिए) तक वेतन प्राप्त करते हैं ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं और और लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं। मध्य प्रदेश में दिनांक **31.3.2024** तक की स्थिति के अनुसार बीमित व्यक्तियों की जिला-वार संख्या संलग्न है।

इसके अतिरिक्त**,** ईएसआईसी संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कामगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) और अटल बीमित व्यक्ति

जारी../2-

कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) का कार्यान्वयन करता है। आरजीएसकेवाई के अंतर्गत, उन बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ और बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है जो कारखाने के बंद होने, छंटनी या गैर-रोजगार चोट के कारण उत्पन्न होने वाली **50%** निःशक्तता (17.01.2008 से 40% निःशक्तता) के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। योजना के तहत, 0-12 महीने के दौरान बीमित व्यक्ति के वेतन का 50% और 13-24 महीनों के दौरान वेतन का **25%** बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत, योजना की कुछ शर्तों के अधीन बेरोजगारी के मामले में बीमित व्यक्ति की मजदूरी के **50%** पर **90** दिनों तक का एकमुश्त राहत भुगतान किया जाता है। ईएसआई निगम ने योजना को दिनांक 30.06.2026 तक बढ़ा दिया है। ईएसआई निगम ने दिनांक 01.08.2022 से स्थायी निःशक्तता लाभ (पीडीबी) और आश्रितों के लाभ (डीबी) दरों को भी उन मामलों में बढ़ाया है जहां रोजगार की चोटों के परिणामस्वरूप निःशक्तता अथवा मृत्यु दिनांक 31.12.2021 को या उससे पहले हुई थी।

मध्य प्रदेश में, इस समय, 07 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कार्यशील हैं, जिनमें से 02 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाए जाते हैं। ईएसआईसी ने ईएसआई लाभार्थियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में 03 नए अस्पतालों की स्थापना के लिए भी "सैद्धांतिक" अनुमोदन दिया है।

*   ******

अनुबंध

'ईएसआईसी द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को श्री आलोक शर्मा और श्री मनोज तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3283 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 31.03.2024 तक मध्य प्रदेश में जिलेवार बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या

जिले का नाम	बीमित व्यक्तियों की संख्या
आगर	731
अलीराजपुर	1105
अशोक नगर	881
बड़वानी	829
भिण्ड	22
बुरहानपुर	7095
दतिया	11
देवास	45676
धार	157743
गुना	4964
ग्वालियर	69910
इन्दौर	363178
झाबुआ	825
खंडवा (पूर्व निमाड़)	3240
खरगौन (पश्चिम निमाड़)	17550
मंदसौर	11364
मोरेना	9004
नीमच	4277
रतलाम	22082
शाजापुर	1917
श्योपुर	1859
शिवपुरी	730
उज्जैन	28921
अनूपपुर	321
बालाघाट	2321
बैतूल	854
भोपाल	231368
छतरपुर	1176
छिंदवारा	3839
दमोह	1060
डिंडौरी	544
हरदा	771
होशंगाबाद	10224
जबलपुर	58225
कटनी	10073
मंडला	387
नरसिंहपुर	1365
पन्ना	418
रायसेन	52716
राजगढ़	585
रीवा	8564
सागर	24747
सतना	25381
सीहोर	6843
सिवनी	788
शहडोल	5174
सीधी	727
सिंगरौली	10261
टीकमगढ़	1242
उमरिया	220
विदिशा	1534

••••••